R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 11
मई 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना जारी रखना

माननीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुपालन में सरकार किसानों को उपलब्ध कराये गये 3 लाख रुपये के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध करायेगी। अनुदान की इस राशि की गणना वितरित किये गये फसल ऋण की राशि पर, वितरण/आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख के बाद जब बकाया ऋण अतिदेय हो जाए अर्थात् खरीफ और रबी के लिए क्रमशः 31 मार्च 2008 और 30 जून 2008 जो भी पहले हो, की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह अनुदान इस शर्त पर उपलब्ध कराया जायेगा कि वे प्रति वर्ष 7 प्रतिशत के आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे :

- ✶ खरीफ और रबी 2007-08 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के अपने आकलन शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि सरकार को अनुदान की संभावित राशि का आकलन प्राप्त हो सके। ये आकलन स्वभाविक रुप से वास्तविक होने चाहिए।
- ✶ संबंधित छमाही की समाप्ति से एक महीने के भीतर छमाही आधार पर 30 सितंबर 2007 और 31 मार्च 2008 तक के अपने दावे प्रस्तुत करें; और
- ✶ 31 मार्च 2008 को समाप्त छमाही के लिये दावे के साथ यह प्रमाणित करते हुए कि 31 मार्च 2008 को समाप्त समस्त वर्ष के लिए अनुदान के दावे (प्रत्येक छमाही के लिए दावा की गयी राशियों का उल्लेख किया जाय) सही और ठीक हैं, एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। दावों का निपटान इस प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद ही किया जायेगा।

बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाया जाना

रिज़र्व बैंक ने अपने 1 जुलाई 2006 के मास्टर परिपत्र में दिए गए अनुदेशों को दुहराते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी नीति अपनाएं। छोटे और सीमांत कृषकों को अल्पावधिक अग्रिमों के मामले में बैंकों को यह सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ब्याज की राशि मूल ऋण की राशि से अधिक न हो। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों को सूचित किया है कि वे समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज, प्रोसेसिंग और अन्य प्रभार न लगाया जाए। छोटे मूल्य के ऋणों, खासकर, व्यक्तिगत ऋण और इसी प्रकार के अन्य ऋणों के संबंध में बैंक अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें :

- ऐसे ऋणों को मंजूर करने के लिए एक समुचित पूर्वानुमोदन प्रक्रिया निर्धारित की जाए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संभावित उधारकर्ता के नकद-प्रवाह (कैशफ्लो) को भी ध्यान में रखा जाए।
- बैंकों द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में अन्य बातों के साथ-साथ उधारकर्ता की आंतरिक रेटिंग को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त और न्यायोचित जोखिम प्रीमियम को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जोखिम के प्रश्न पर विचार करते समय, प्रतिभूति के रहने या नहीं रहने तथा उसके मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए।
- बैंक द्वारा कोई ऋण देते समय उस पर आनेवाली कुल लागत जिसे अदा किया जाना है और लाभ की सीमा जो लेन-देन से समुचित रूप से प्रत्याशित है, के संबंध में ब्याज तथा ऋण पर लगाए गए अन्य सभी प्रभारों सहित उधारकर्ता को आनेवाली कुल लागत न्यायोचित हो।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना जारी रखना	1
बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज लगाया जाना	1
आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार घटाया	2
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 - जमाकर्ता की मृत्यु के बाद ब्याज दर	2
शहरी सहकारी बैंक	
बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक	2
फेमा	
ब्याज दरें	2
कंपनियों द्वारा दिए गए दान का विप्रेषण	2
मूलभूत सुविधा परामर्श-विप्रेषण सीमा बढ़ाई गई	2
विदेशी मुद्रा खाते - जहाज मज़दूर/नाविक दल प्रबंधन	2
भारतीय कंपनियों की स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को ऋण सुविधा प्रदान करना	3
उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा बढ़ाई गई	3
बाह्य वाणिज्यिक उधार - अंतिम उपयोग और सभी लागत सीमाएँ - संशोधित	3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा बढ़ाई गई	3
वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य	4

- ऐसे ऋणों के संबंध में प्रोसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित ब्याज की एक समुचित सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसका उपयुक्त रीति से प्रचार किया जाना चाहिए।

आवासीय गृहनिर्माण ऋण पर जोखिम भार घटाया

आवासीय संपत्ति के बंधक रखे जाने पर व्यक्तियों को 20 लाख रुपये तक के गृह निर्माण ऋण पर जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी बंधक आधारित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर जोखिम भार को भी 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 - जमाकर्ता की मृत्यु के बाद ब्याज दर

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जब जमाराशि परिपक्व होने से पूर्व जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके नामांकिती/वैध वारिस बैंकर से खाता बंद करने के लिए संपर्क करते हैं तब ऐसे मामले में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस) के अंतर्गत जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से खाता बंद करने की तारीख तक की अवधि के लिए नामांकिती/वैध वारिस बचत बैंक की ब्याज दर पर लाभ पाने का हकदार होगा।

शहरी सहकारी बैंक

बीमा कारोबार करना - शहरी सहकारी बैंक

राज्य में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या जो बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को बिना कोई जोखिम उठाए कार्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गयी है। ऐसे शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित मानदंडों के अधीन बीमा एजेंसी कारोबार कर सकते हैं:

- ✶ जिनका न्यूनतम नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये हो ; और
- ✶ उसे ग्रेड III या IV बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो।

राज्यों में पंजीकृत उन शहरी सहकारी बैंकों के मामले में मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

फेमा

ब्याज दरें

अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशियाँ

एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नई अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए (पूर्व में लिबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंक अधिक दर के बदले)। ये ब्याज दरें तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि की स्थिति में भी लागू होंगी। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होगा, जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियाँ

24 अप्रैल 2007 को भारत में कारोबार की समाप्ति से संविदाकृत सभी परिपक्वता अवधि की विदेशी मुद्रा (अनिवासी) (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरें संबंधित मुद्रा/तदनुरूप परिपक्वता अवधि के लिए लागू लिबोर/स्वैप दरों की उच्चतम दर से 75 आधार बिन्दु कम के भीतर (पूर्व में लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिंन्दु कम दरों के बदले) रखी जाएंगी। अस्थायी दर वाली जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता अवधि पर लागू स्वैप दरों की उच्चतम सीमा से 75 आधार बिन्दु कम तक किया जाएगा। अस्थायी दर जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि 6 महीने होगी।

कंपनियों द्वारा दिए गए दान का विप्रेषण

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I के बैंकों को अब यह अनुमति दी गई है कि वे निम्नलिखित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा दिए गए दान का विदेश में विप्रेषण कर सकते हैं :

- विख्यात शैक्षणिक संस्थानों में पदो का सृजन
- शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रवर्तित निधियों का दान (कोई निवेश निधि न हो)
- दाता कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में किसी तकनीकी संस्था अथवा निकाय अथवा संगठन को दान

ऐसे विप्रेषण विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा आय के एक प्रतिशत की सीमा अथवा 5 मिलीयन अमरीकी डालर, जो भी कम हो, के अधीन होना चाहिए। ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए विप्रेषण हेतु आवेदन पत्र मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उनकी विदेशी मुद्रा आय के ब्योरे, (ख) कंपनी की गतिविधियों की संक्षिप्त भूमिका (ग), दान के प्रयोजन और (घ) कंपनी के संभावित लाभ के साथ भेजे जाएं।

भारतीय कंपनियों द्वारा दिए गए दान के लिए प्रति विप्रेषक/प्रति दाता प्रति वर्ष 5,000 अमरीकी डालर तक के विप्रेषण हेतु वर्तमान सुविधा पूर्व की भांति जारी रहेगी।

मूलभूत सुविधा परामर्श-विप्रेषण सीमा बढ़ाई गई

मूलभूत सुविधा परियोजनाओं का कार्य करनेवाली भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की गई परामर्शी सेवा के लिए विप्रेषण की सीमा को प्रति परियोजना 1 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर प्रति परियोजना 10 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए मूलभूत सुविधा क्षेत्र को (i) विद्युत, (ii) दूरसंचार, (iii) रेलवे, (iv) पूलों सहित सड़क, (v) समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डा, (vi) औद्योगिक पार्क और (vii) शहरी मूलभूत सुविधा (जल आपूर्ति, सफाई और जलनिकास परियोजनाएं) के रूप में पारिभाषित किया गया है। तदनुसार, प्राथमिक श्रेणी-I बैंक ऐसे मामलों में लेन-देन की वास्तविकता का सत्यापन करने के बाद भारतीय कंपनियों की ओर से प्रति परियोजना 10 मिलियन अमरीकी डालर के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

अन्य सभी मामलों में, भारत के बाहर से प्राप्त की गई किसी भी परामर्शी सेवा के लिए प्रति परियोजना 1 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा जारी रहेगी।

विदेशी मुद्रा खाते - जहाज़ मज़दूर/नाविक दल प्रबंधन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को भारत में जहाज़ मजदूर/नाविक दल-प्रबंधन एजेंसियों को सामान्य रूप से अपना कारोबार चलाने में किए जा रहे लेन-देन के लिए भारत में ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाते खोलने और रखने की अनुमति के लिए मंजूरी दी गई है। ऐसी अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) ऐसे खातों में जमा समुद्रपारीय मूल राशि से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषणों द्वारा किया जाए।

(ख) जहाज़ मज़दूर/नाविक दल द्वारा सामान्य रूप से अपना कारोबार चलाने के लिए किए गए विभिन्न व्ययों के लिए नामे डाला गया हो।

(ग) खाते में धारित निधियों की प्रतिभूति पर कोई ऋण सुविधा (निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित) प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(घ) ऐसे खातों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित निधि आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

(ङ) खाते में प्राप्त विप्रेषणों के संबंध में कोई विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (इइएफसी) सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।

(च) खाते को केवल करार की वैध अवधि के दौरान ही चालू रखा जाना चाहिए।

भारतीय कंपनियों की स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को ऋण सुविधा प्रदान करना

भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों (जिनमें भारतीय कंपनी की धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है) की पूर्ण स्वाधिकृत स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को निधि और/या गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत में बैंकों को अनुमति दी गई।

यह सुविधा प्रदान करने के पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

- स्टेप-डाउन सहायक कंपनी का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि बैंक अपने द्वारा दी जानेवाली सुविधाओं के अंतिम उपयोग की प्रभावी रूप से निगरानी कर सके।
- इस प्रकार के सीमा पार उधार देने से उत्पन्न ऋण और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन की समुचित प्रणाली स्थापित है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन किया जाता है।
- ऐसे उधार देने का संसाधन आधार एफसीएनआर (बी), इइएफसी, आरएफसी जैसे विदेशी मुद्रा खातों में रखी निधियां होनी चाहिए, जिनके संबंध में बैंकों को विनिमय जोखिम का प्रबंधन करना पड़ता है।
- ऐसे लेनदेनों से होनेवाली परिपक्वता संबंधी विसंगति रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतराल सीमाओं के अधीन है।
- देशी निधि आधारित/गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र पर लागू पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोज़र मानदंडों आदि से जुड़े सभी वर्तमान सुरक्षा उपाय और विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
- इस प्रकार की सुविधाओं की स्वीकृति जिन देशों में स्टेप-डाउन सहायक कंपनी स्थित हो उनके तथा परियोजना के समुचित मूल्यांकन और वाणिज्यिक क्षमता पर आधारित होनी चाहिए।
- जिन देशों में स्टेप-डाउन सहायक कंपनियां स्थित हों उन देशों में (क) कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण लेने तथा उनके प्रत्यावर्तन या चुकौती के संबंध में तथा (ख) अनिवासी बैंकों द्वारा उन देशों की प्रतिभूतियों/आस्तियों पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने तथा आवश्यक होने पर उनका निपटान करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

उदारीकृत विप्रेषण योजना - सीमा बढ़ाई गई

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विप्रेषण सीमा को प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 50,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। तदनुसार, प्राथमिक व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी अनुमत चालू खाते अथवा पूँजी खाता लेन-देन अथवा संयुक्त लेन-देन, दोनों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर तक के विप्रेषण की अनुमति दें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि वे लेन-देन जो अन्य प्रकार से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं और वैसे लेन-देन जो विदेशी शेयर बाज़ारों / विदेशी काउंटरपार्टी को मार्जिन अथवा मार्जिन माँगों के लिए विप्रेषण की प्रकृति के है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई है।

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को पुनः यह सूचित किया जाता है कि वे इस योजना के अंतर्गत विप्रेषण को सुविधा प्रदान करने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधा प्रदान न करें।

बाह्य वाणिज्यिक उधार - अंतिम उपयोग और सभी लागत सीमाएँ - संशोधित

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के दिशानिर्देशों की समीक्षा के आधार पर नीचे उल्लिखित प्रकार से बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को संशोधित किया गया है:

अंतिम उपयोग

किसी प्रकार की छूट के बिना भू-संपदा में बाह्य वाणिज्यिक उधार आय के उपयोग की अनुमति नहीं है। बाह्य वाणिज्यिक उधार की पूर्व नीति के अनुसार *भू-संपदा* के शब्द में 'एकीकृत शहरीकरण का विकास' को शामिल नहीं किया गया था। इस छूट की स्वीकृति 'एकीकृत शहरीकरण का विकास' बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतिम उपयोग के रुप में दी गई थी जिसे अब वापस ले लिया गया है।

सभी लागत सीमाएँ

निवेश श्रेणी में भारत के सर्वोत्तम ऋण पात्रता निर्धारण में अभिवृध्दि के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए सभी लागत सीमाओं को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:

औसत परिपक्वता अवधि	*** छह माह लिबोर के लिए सभी लागत सीमाएँ**	
	वर्तमान	संशोधित
तीन वर्ष तथा पाँच वर्ष तक	200 आधार बिन्दु	150 आधार बिन्दु
पाँच वर्ष से अधिक	350 आधार बिन्दु	250 आधार बिन्दु

** उधार की संबंधित मुद्रा अथवा लागू न्यूनतम मानदंड के लिए*

ये परिवर्तन तत्काल प्रभाव से स्वचालित मार्ग और अनुमोदित मार्ग दोनों के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा बढ़ाई गई

समस्त वित्तीय प्रणाली में प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) [अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी) के अलावा] द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों पर देय अधिकतम ब्याज दर को संशोधित करते हुए 24 अप्रैल 2007 को तथा उसके बाद 11.0 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह अधिकतम अनुमत दर है जिसे वे अपनी सार्वजनिक जमाराशियों पर भुगतान कर सकती है तथा कम दरों का विकल्प प्रस्तुत कर सकती है। यह संशोधित ब्याज दर नई सार्वजनिक जमाराशियों और परिपक्व सार्वजनिक जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी।

12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ी हुई ब्याज दर सीमा विविध गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (चिट फण्ड कंपनियों) द्वारा स्वीकार की गई/नवीकृत जमाराशियों पर भी लागू होगी।

दरों से संबंधित अन्य शर्तें जैसे किस दर पर ब्याज की गणना की जाएगी, दलाली की दर आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

डॉ. वाइ.वेणुगोपाल रेड्डी, गवर्नर ने 24 अप्रैल 2007 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य दिया।मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है :

रूझान

- वर्ष 2007-08 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान।
- वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रास्फीति की दर 5.0 प्रतिशत के आसपास सीमित रखना। आगे बढ़ते हुए ऐसा संकल्प है कि मध्यावधि में मुद्रास्फीति के लिए ऐसी नीति और स्थिति निर्मित करना कि यह 4.0 - 4.5 प्रतिशत के बीच रहे।
- वर्ष 2007-08 के दौरान एम3 का विस्तार लगभग 17.0 से 17.5 प्रतिशत के बीच सीमित रखना।
- वर्ष 2007 - 08 के दौरान जमाराशियों में लगभग 4,90,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान।
- वर्ष 2007-08 के दौरान समायोजित खाद्येतर ऋण में लगभग 24.0 से 25.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान जिसमें 2004-07 तक औसतन 29.8 प्रतिशत में क्रमिक गिरावट आना निहित है।
- विकास की गति को समर्थन देने वाले मौद्रिक और ब्याज दर माहौल को सुनिश्चित करते हुए मूल्य स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर अधिक बल देना।
- मूल्य और वित्तीय स्थिरता के अनुसार उचित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यथोचित चलनिधि बनाए रखना।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के प्रकट होने को अलग रखते हुए तथा मुद्रास्फीति दृष्टिकोण सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकलन की दृष्टि से आगे की अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र रुझान निम्नप्रकार जारी रहेगा:
  - ✶ एक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण जो अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा निवेश माँग की सहायता करता है ताकि विकास की गति को जारी रखा जा सके, को सुनिश्चित करते समय मूल्य स्थिरता पर दबाव और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को भली प्रकार स्थिर किए जाने को सुदृढ़ किया जाना।
  - ✶ विशेषकर महत्तम ऋण निवेश और वित्तीय समावेशन का साथ-साथ अनुपालन करते समय वित्तीय स्थायित्व और समष्टि आर्थिक प्राप्ति के लिए वित्तीय बाज़ारों में ऋण गुणवत्ता और व्यवस्थित स्थितियों पर पुन: जोर डाला जाना।
  - ✶ मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और विकास की गति पर अतिक्रमण करते हुए विकसित हो रही वैश्विक और घरेलू स्थितियों के लिए समुचित सभी संभावित उपायों के साथ तेजी से कार्रवाई करना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर और रिपो दर को क्रमशः 6.00 प्रतिशत तथा 7.75 पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 28 अप्रैल 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.5 प्रतिशत रखा गया है।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों [एफसीएनआर (बी)] पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 50 आधार बिंदू से कम करके लिबोर से 75 आधार बिंदू घटाकर रखी गई।
- अनिवासी (बाह्य) रूपया खाता (एनआर (ई) आरए) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 50 आधार बिंदू कम करके लिबोर / स्वैप दरों पर लाई गई।

विकासात्मक और विनियात्मक नितियाँ

- 182 दिवसीय खज़ाना बिलों पर मिलने वाली औसतन अधिकतम आय का प्रयोग अस्थिर दर के बांडों के लिए बेंच मार्क दर के रूप में किया जाना।
- ब्याज दर फ्यूचर मार्केट से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने और उसके विकास के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्यकारी दल की स्थापना करना।
- भारतीय कंपनियों के लिए समुद्रपारीय निवेश सीमा (कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं) बढ़ाकर उनके निवल मूल्य के 300 प्रतिशत की गई।
- सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की विदेश में संविभाग निवेश की सीमा को बढ़ाकर निवल संपत्ति का 35 प्रतिशत कर दिया गया।
- पारस्परिक निधियों द्वारा विदेशी निवेश की सकल सीमा को बढ़ाकर 4 बिलियन अमरीकी डालर किया गया।
- रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना बाह्य वाणिज्यिक उधारों (इसीबी) का पूर्व भुगतान सीमा को बढ़ाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर किया गया।
- उदारीकृत विप्रेषण योजना में व्यक्तियों के लिए किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाते में लेनदेन करने की 50,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष किया गया।
- वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे की तर्ज पर प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए यथोचित रूप-रेखा सुझाने हेतु मुद्रा फ्यूचर्स पर एक कार्यकारी दल गठित किया जाना।
- सभी श्रेणी के बैंकों के लिए सोना और चांदी के गहनों पर 1 लाख रुपये तक के ऋणों पर जोखिम भार को 50 प्रतिशत से घटाया गया।
- संकटग्रस्त किसानों के लिए ऋण गारंटी योजना लागू करना।
- भारतीय बैंकों को वर्तमान विवेकपूर्ण सीमाओं और कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के भीतर सहायक कंपनी की सहायक कंपनी (स्टेप डाउन) को ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएँ प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को एकल-संस्था ऋण चूक स्वैप में लेन-देन शुरू करने की अनुमति दी गई।
- एक अस्थायी उपाय के रूप में व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक के रिहाइशी आवास ऋणों पर जोखिम भार को घटाते हुए 50 प्रतिशत किया गया।
- टीयर I तथा टीयर II शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू वर्तमान रियायती विवेकपूर्ण मानदंडों को एक वर्ष तक बढ़ाया गया।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के अलावा) जमाराशियों पर देय ब्याज दर की सीमा को 150 आधार बिंदू से बढ़ाया गया।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**